


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपल
रा.उ.प्रा.वि. इब्राहीमाबाद जरिये प्रधानाध्यापक बनाम कानाराम योगी वगै०
किस्म मुकदमा-वाद बाबत उद्घोषणा खातेदारी
प्रकरण संख्या 119 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
15/08/25	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी समन प्रतिवादी जरिये रजिस्टर्ड एडी० जारी हो। पत्रावली दिनांक 19.08.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप खण्ड अधिकारी पीपल (टॉक) </p>	
19/08/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या ०१ लगा. ०५ की और से अधिवक्ता श्री ... नन्दकिशोर शर्मा एड. के बकायत/पत्रावली व इबनाली जहाँ हाजा परस्तुन किया। पत्रावली बाबत तलबी प्रतिवादी संख्या ०५, ०६, ०७ दिनांक २७.०८.२०२५ को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">A</p>	
27/08/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी संख्या ०१ लगा. ०४ उप। पत्रावली बाबत तलबी प्रतिवादी संख्या ०५, ०६, ०७ दिनांक ०९.०९.२५ को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">A</p>	
09/09/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी/पी.ओ. साहल राजकार्य में बास्तु आवश्यकता पर/स्थगित होने के कारण पत्रावली/तलबी अम्बेसिका अनुसार दिनांक 12.09.2025 पेश है।</p> <p style="text-align: right;">Ran</p>	

12/25 09 पत्रावली पर हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी
 जमाना/पीओ साहब राजकाय में खसरा
 अपकाय पर/स्थानान्तरित होने के कारण
 पत्रावली में आवेशिका अनुसार विचार
 16.12.25 से।



16/25 09 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी सेना
 01 लगा. 04 उप. प्रतिवादी सेना 05 की शामिल नहीं
 रजिस्ट्री एच. पेश की गई है। बाबप्रद शामिल प्रतिवादी
 सेना 05 अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एक
 तरफा कार्यवाही अमल में लगी जाती है। प्रतिवादी
 सेना 06, 07 की तलवी अपेक्षित है। पत्रावली व सेना
 जमाना का अन्वयक किया गया। उक्त जमाना के
 अन्वयक से स्पष्ट है की विवादित आराजीपत बैंक के
 रजिस्ट्री हैं एवं बाद उद्घोषणा खतरे की है। प्रकाश
 से बैंक हितवद्द पक्षक है। जिनके पक्षक बनाया जान
 गुणागुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक
 प्रतीत होता है। अतः वादी को संबंधित बैंक की प्रतिवादी
 के रूप में संयोजित करने का आदेश दिया जाता है। संशोधित
 बीपीडी पेश हुआ। पत्रावली वास्तु शामिल प्रतिवादी सेना
 06 लगा. 09 दिनांक 24.09.2025 को पेश है।

उपस्थंड अधिकारी
 पीपल्स जिला बैंक

24/25 09 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी सेना
 01 लगा. 04 उप. पत्रावली वास्तु तलवी प्रतिवादी
 सेना 06 लगा. 09 दिनांक 01.10.25 को पेश है।

10/25 09 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी
 सेना 01 लगा. 04 उप. प्रतिवादी सेना 06 लगा.
 09 की शामिल हो चुकी है। प्रतिवादी सेना
 06 लगा. 09 बाबप्रद शामिल अनुपस्थित रहने
 के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल
 में लगी जाती है। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपल (टोंक)
श.उ.सा.वि. इब्राहिमाबाद बनाम सोनीलाल को.
 मुकदमा नं. 119 मं. 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>सेष्या 01 लगा. 04 के बहस हेतु निर्देश किया। बहस उपपक्ष सुनी गई। फतावती वाले आदेश दिनांक 07.10.2018 को पेश है। </p> <p>07/23/18 ¹⁰ फतावती वाले आदेश में ¹⁰ / अधिकारी बाकी व प्रतिवादी सेष्या 01 लगा. 04 उप-1 फतावती का अवलोकन किया गया व उपपक्ष की बहस पर मकद किया जाकर वाद वाली अजिम डिट्टी किया गया, निर्णय पृथक से लिखवाया गया, जो शामिल मिला है। डिट्टी जारी है। फतावती निर्णय कुमार टोंक द्वारा दाखिल है एवं निप्रमानुसार नम्बर से कम है। </p> <p>उप खण्ड अधिकारी पीपल (टोंक)</p>	